

I fpdkLr | fpdkvks dh | ph&2015  
t uojh&2015  
f' k{kk foHkkx

de   0	I fpdk   f; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	01 / लोक(शिक्षा)07 / 2011	न्यू उत्कमित प्राथमिक विद्यालय जैदू में प्रबंध समिति के फर्जी गठन एवं विद्यालय विकास हेतु आंवटित राशि में घोटाला के संबंध में श्री संतोष सिंह का परिवाद ।	27.01.2015	उपायुक्त पलामू से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही पाये जाने के उपरान्त उनके माध्यम से समुचित कार्रवाई की या जा चूका है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद दकर दिया गया ।
2.	02 / लोक(शिक्षा)17 / 2012	श्री उदय कुमार मंडल सेवा निवृत शिक्षक गिरिडीह के बकाया भुगतान के संबंध में ।	29.10.2015	जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01 / लोक(शिक्षा) 22 / 12	बी.एस.के. कॉलेज मैथन, धनबाद के प्रभारी प्राचार्य डा. जयप्रकाश शाह पर भ्रष्टाचार का आरोप के के संबंध में श्री देवाशीष महतो धनबाद का परिवाद ।	28.01.2015	प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

Hkou fuekZ k foHkkx

de   0	I fpdk   f; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	01 / लोक(भवन)01 / 2013	चतरा जिला में सर्व शिक्षा अभियान के तहत असैनिक कार्यों में सहायक अभियंता झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अनियमितता बरते संबंधी श्री रविन्द्र कुमार सिंह का परिवाद ।	28.01.2015	प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी लोकसेवक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर लिय गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

## LokLF; foHkkx

de   ०	fpdk   a; k	fo"k;	fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	01 / लोक(स्वा.)02 / 14	फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अवैद्य चिकित्सा करने के संबंध में श्री राजू प्रजापति कोकर खेरहा ठोली राँची का परिवाद ।	29.01.2015	वरीय पुलिस अधीक्षक राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अतः वाद को उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## ty | d k/ku foHkkx

de   ०	fpdk   a; k	fo"k;	fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	02 / लोक जल से) 07 / 13	संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में श्री मोहन प्रसाद साह का परिवाद ।	30.01.2015	सचिव जल संसाधन विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निरकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## i fyl foHkkx

de   ०	fpdk   a; k	fo"k;	fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	02 / लोक(पुलिस)24 / 2012	परिवादी रूपेश सिंह के घर पर असमाजिक तत्वों को हड्डपने में सहयोग करने के संबंध में परिवाद ।	19.01.2015	पुलिस अधीक्षक कोडरमा से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के

				विरुद्ध कार्रवाई किया जा चूका है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(पुलिस)06 / 2013	थाना प्रभारी लोहरदगा को लिखित शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री एतवा उर्हाँव लोहरदगा का शिकायत ।	23.01.2015	पुलिस अधीक्षक लोहरदगा से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार सन्हा दर्ज कर आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया गया है तथा अनुसंधान प्रक्रियाधीन है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### x'g foHkkx

de   ०	fpdk   a; k	fo"k;	fpdkLr dli frffk	vfre vkn's k
1.	01 / लोक(गृह)02 / 14	गृह विभाग झारखण्ड राँची में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अभिमन्यु कुमार राँची का परिवाद ।	27.01.2015	प्रधान सचिव गृह विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### m | kx foHkkx

de   ०	fpdk   a; k	fo"k;	fpdkLr dli frffk	vfre vkn's k
1.	02 / लोक(उद्योग)01 / 14	श्री असीत कुमार घोष, सेवा निवृत अधिदर्शक को प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय ACP के आलोक में वेतन	28.01.2015	पायलट प्रोजेक्ट पदाधिकारी के सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कागजात से स्पष्ट है कि परिवादी को गलत

		निर्धारण के संबंध में ।		तरिके से द्वितीय ACP का लाभ दिया गया था जिसको सही कर के पुनः वेतन का निर्धारण कर देय पावना का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(उद्योग)01 / 2013	जिला उद्योग केन्द्र मेदनीनगर के महा प्रबंधक द्वारा मृत्युपरान्त देय पावनाओं के भुगतान में विलम्ब करने के संबंध में श्री शारदा सिंह का परिवाद ।	28.01.2015	महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मेदनीनगर, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर उनके बाद का निपटारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### [kk] | vki frz foHkkx

de   ०	I fpdk   ꝑ; k	fo"k;	I fpdkLr dh frfFk	vfre vkn's k
1.	02 / लोक(खा.आ.)06 / 13	जनवितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा बी.पी.एल. का चावल नहीं देने के संबंध में श्री संतोष मोदी देवघर का शिकायत ।	27.01.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा मुखिया से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिवादी की आय बी.पी.एल.सूची के अनुरूप नहीं रहने के कारण उनका नाम ग्राम सभा द्वारा सूची से हटा दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### mRi kn foHkkx

de   ०	I fpdk   ꝑ; k	fo"k;	I fpdkLr dh frfFk	vfre vkn's k
1.	01 / लोक(उत्पाद)01 / 2013	पद का दुरुपयोग कर होर्डिंग से अवैद्य कमाई करने एवं राजस्व की क्षति पहुँचाने के संबंध में श्री रघू जयसवाल, हजारीबाग का परिवाद ।	23.01.2015	परिवादी का आरोप लगभग वैसा ही है जैसा कि परिवाद सं. 01 / लोक(उत्पाद)01 / 2011 में था जिसका निष्पादन दिनांक 17.10.2013 को माननीय द्वारा स्वत्व

				वाद सं. 211/2007 के न्यायालय में लिखित रहने के आधार पर किया जा चूका है। अतः इस वाद को भी उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।
--	--	--	--	--

### Okf.kT; dj foHkkx

de   ०	fpdk   ꝓ; ꝑ	fo"k;	fpdkLr dli frffk	vfre vkn's k
1.	02/लोक(वा.क. .)01/2013	जाली व मान्यता विहीन प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने के संबंध में श्री सचिन्द्र देव तिवारी, गोड्डा का परिवाद।	27.01.2015	उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त जांच प्रतिवेन के अनुसार परिवादी का परिवाद सत्य पाया गया तथा आरोपी लोकसेवक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का संचालन किया गया इसी दौरान आरोपी लोकसेवक की मृत्यु हो गई। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया।

### I kekt dY; k.k foHkkx

de   ०	fpdk   ꝓ; ꝑ	fo"k;	fpdkLr dli frffk	vfre vkn's k
1.	02/लोक(स. क.)08/13	देवघर जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार गबन के अनियमितता पर अनुमंडल पदाधिकारी देवघर के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में श्री अशोक यादव, प्रमुख पंचायत समिति देवीपुर का परिवाद।	22.01.2015	थाना प्रभारी देवीपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि आरोपी लोक सेवकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर लिया गया है तथा अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।

## f' kdk; r

de 10	I fpdk   f; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vfre vkn's k
1.	शिकायत सं. 179 / 2014	खतियानी जमीन को जालसाजी करके बेचने व खरिदने के संबंध में श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, धनवार गिरिडीह का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 246 / 2014	थाना प्रभरी गांवा, गिरिडीह द्वारा अवैद्य केशर संचालक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के संबंध में श्री मनोज कुमार का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 298 / 2014	जसीडिह थाना काण्ड सं. 181 / 12 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री कैलू यादव का शिकायत ।	30.01.2015	त्रुटि निराकरण हेतु प्रेषित पत्र वापस लौट आने से स्पष्ट है कि शिकायत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया था। अतः इस किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 627 / 2013	बलिया पुर थाना प्रभारी (धनबाद) के द्वारा अकारण प्रताड़ित करने व गिरफ्तार करने के संबंध में श्री धनंजय कुमार साव सिंन्दरी, धनबाद का शिकायत ।	627 / 2013	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 529 / 2013	श्री बल प्रसाद सिंह, प्रखण्ड प्रमुख मधुपुर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री सुनिल कुमार दास, मधुपुर का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 580 / 2014	साहेबगंज नगर थाना काण्ड सं. 117 / 14 पर थाना प्रभारी द्वारा घूस लेकर समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री साहदेव मंडल का परिवाद ।	29.01.2015	पुलिस द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है तथा अनुसंधान प्रक्रियाधीन है अतः इसमें अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वाद को माननीय द्वारा बंद कर दिया गया ।

7.	शिकायत सं. 06 / 2014	नव प्राथमिक विद्यालय, रॉची टोला, कुर्मीडीह, बोकारो में व्याप्त अनियमितता के संबंध में श्री नन्कु कुमार महली एवं अन्य का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 57 / 2014	श्री सदगुरु जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय, गढ़वा में पंचम वेतन अन्तर राशि भुगतान में अनियमितता के संबंध में श्री संजय कुमार सिंह एवं अन्य का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 591 / 14	मानदेय का भुगतान व लैपटॉप की राशि लौटाने के संबंध में श्री सुदेश्वर प्रसाद सिंह, हजारीबाग का शिकायत ।	23.01.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी वाद का निपटारा के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के सहायता से समझौता कर कुछ राशि प्राप्त कर चूके हैं। अतः शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
10.	शिकायत सं. 571 / 2014	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी महेशपुर द्वारा झूठा एवं मिथ्या सूचना देने के संबंध में फूलकुमारी, पाकुड़ का शिकायत ।	21.01.2015	शिकायत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जिसका निराकरण अधिनियम में ही सन्निहित है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 568 / 2014	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गोला द्वारा मनरेगा के कार्यों में अनियमितता किये जाने के संबंध में स्नेहलता चौधरी, मुखिया गोला का शिकायत ।	23.01.2015	शिकायत एक लोक सेवक के द्वारा दुसरे लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 288 / 2014	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में घूस मांगने/कमाने के संबंध में श्री रूपलाल मांझी, धनबाद का शिकायत ।	30.01.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 09 / 2015	AIADA द्वारा वर्ष 1986 में आवासीय भूमि हेतु	29.01.2015	शिकायत काल बाधित रहने के कारण माननीय

		पंजीकरण के बाद भी भूमि आवंटन नहीं कराने के संबंध में श्रीमती कंचन माला, जमशेदपुर का शिकायत ।		लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 507 / 2014	कृषि विभाग, भूमि संरक्षण प्रभाग के जलनिधि योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला करने के संबंध में श्री शिवकुमार, जिला युवा जनतादल, सरायकेला खरसांवा का शिकायत ।	27.01.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि जिस योजना के विषय में परिवादी द्वारा शिकायत किया गया है वह योजना का कियानवयन ही नहीं हुआ अतः किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 522 / 14	उत्पाद विभाग के Exise Hologram Tender में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री वरुण शाही का शिकायत ।	28.01.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि शिकायत कर्ता संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दिया है। अतः इस वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
16.	शिकायत सं.510 / 2014	स्व. उषा गुप्ता, व्याख्याता, सिमडेगा कॉलेज का ग्रुप बीमा बकाया रहने के संबंध में राम नारायण प्रसाद, रॉची का शिकायत ।	28.01.2015	परिवादी अपने वाद के निराकरण के लिए पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दायर तिक्ये हैं। अतः उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 577 / 2014	अमर्यादित आचरण का आरोप के संबंध में श्री भोलानाथ देवघर का शिकायत ।	29.01.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि शिकायत अनर्गल बिना किसी साक्ष्य के लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।